दिनांक 13/01/2024 को देहरादून पुलिस ने नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर शादी के लिये भगाकर ले जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

दिनांक 13.1.2024 को रायपुर निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना रायपुर देहरादून में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमे उनके बताया कि एक व्यक्ति अपना नाम बदलकर शिकायतकर्ता की नाबालिग बहन को शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। वादी की तहरीर के आधार पर थाना रायपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी। गठित पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.11.2023 को नामजद अभियुक्त को 06 घंटे के अन्दर गिरफ्तार करते हुए उसके पास से नाबालिक युवती को बरामद किया गया। पूछताछ पर जानकारी मिली कि गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा इंस्टाग्राम में अपने दूसरे नाम से आईडी बनाई हुई है। इंस्टाग्राम से ही उसके द्वारा नाबालिक युवती से दोस्ती की थी और युवती को शादी का झांसा देकर भगाकर ले जा रहा था। अभियुक्त वर्तमान में सुधोवाला में एक ढाबे में काम करता था। अभियुक्त के विरुद्ध थाना रायपुर पर मु0अ0स0 18/2024, धारा 363,366 भादवि व 7/8 पोक्सो अधि0 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त- आसिफ पुत्र नसीम निवासी नियादरगंज थाना कोतवाली दादरी गौतमबुद्ध नगर, उ0प्र0, उम्र 24 वर्ष

पुलिस टीम -

1. Ssi नवीन जोशी
2. म0उ0नि0 हेमलता
3. कानि0 प्रमोद कुमार
4. कानि0 विनोद कुमार